न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 92/2016

अनवान

1. रामगोपाल पुत्र शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. मदन पुत्र शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. मनोहर पुत्र शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र बगाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. चेतराम पुत्र शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. मामकंवरी पुत्री शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. रामप्यारी पुत्री शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. निर्मला पुत्री शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. फुलादेवी पुत्री शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
7. कृष्णा पुत्री शिशपाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।
9. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकशीम एवं घोषणात्मक

धारा 53, 88 आर टी एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादीगण

: वकील श्री राजेन्द्र गोयल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 14.7.17

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 बीएचडी खाता सं0 117/114 के मु0न0 32 किला न0 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 24 मु0न0 33 के किला नं0 6, 15, 16, 25 कुल 6.325 है0 मुश्तर्का खातेदारी कृषि भूमि वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी चेतराम तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की माता मृतका रेशमादेवी के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 102/93 के मु0न0 16 के किला नं0 25 मु0न0 17 के किला नं0 19 व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

20 मु0न0 30 के किला नं0 8 कुल 1.012 है0 मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है तथा शेष 1/2 भाग भूमि प्रतिवादी सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/102 के मु0न0 16 के किला नं0 21 ता 24 मु0न0 17 के किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0न0 27 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 मु0न0 27 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 मु0न0 28 किला नं0 1 मु0न0 30 किला नं0 2 ता 7 कुल 9.108 है0 मुश्तर्का खातेदारी कृषि भूमि वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी चेतराम के नाम से 4/9 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 3 ता 6 के नाम से 1/18 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी सुरजाराम के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि का अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, अपने अपने बंटवारा में आई भूमि को पक्षकारान दावा ने अलग अलग काश्त करनी शुरू कर दी तथा उनकी अलग अलग सींव डोल आदि बनी हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने बंटवारा में आई भूमि में सिंचाई आदि के लिए टयुबवेल एवं अस्थाई रिहायश आदि के लिए मकानात भी बना रखे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की ओर से वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी ने वकालतनामा पेश कर अपनी उपस्थित दर्ज करवाई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व मय रंगदार नक्शा पर वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की। प्रतिवादी सं0 1 ने जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी सुरजाराम प्रार्थी ने चक 2 बीएचडी के खाता सं0 117/114 के मु0नं0 32 के किला नं0 4, 7, 8, 13 में से धरातल से करीब 4 फीट नीचे पाईप लाईन दबाकर अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रखी है। यह पाईप लाईन प्रतिवादी के मु0नं0 32 के किला नं0 12 में खुलती है पाईप लाईन लगभग 20 वर्षो से निरन्तर सिंचाई हेतु काम मे आ रही है। पाईप लाईन बाबत सहकाश्तकारों से विवाद न हो इसलिए प्रतिवादी पाईप लाईन की वैधानिक स्वीकृति चाहता है। जिससे प्रतिवादी चक 2 बीएचडी के मु0नं0 32 के किला नं0 11, 20, 21 मु0नं0 33 के किला नं0 15, 16, 25 में पाईप लाईन से सिंचाई कर सके। प्रतिवादी ने वादीगण से उक्त पाईपलाईन स्वीकृत करवाने के लिए कहा तो उसने पाईप लाईन स्वीकृत करवाने के लिए हां कर दी।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक वाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग से कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपने काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 2 बीचएडी के खाता सं0 117/114 के मु0नं0 32 के किला नं0 4, 7, 8, 13, में से धरातल से करीब चार फीट नीचे पाईप लाईन दवाई हुई है को मु0नं0 32 के किला नं0 12 में खुलने के लिए सिचाई हेतु पाईप लाईन की स्वीकृति सादिर फरमाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय रंगदार नक्शा पर सहमति प्रकट की।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... जिला-हनुमानगढ़

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 2 बीएचडी में स्थित आराजी में अपने हकों की घोषणा करवाने एवं चक 2 बीएचडी व चक 2एमएसआर की आराजी का खाता व लगान मुताबिक वाहगी बंटवारा के अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 का स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 बीएचडी के खाता सं0 117/114 के मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 24 की 5.313 है0 मु0नं0 33 के किला नं0 6, 15, 16, 25 की 1.012 है0 कुल 6.325 है0 (नहरी 6.235 है0 रास्ता 0.065 है0 खाला 0.025 है0) मुश्तर्का खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की माता रेशमा देवी के नाम से 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में रेशमा देवी के बजाय वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण ने घोषणात्मक अनुतोष के साथ साथ खाता तकसीम का अनुतोष भी चाहा है, जिस पर सभी पक्षकारान सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय रंगदार नक्शा के विवादित भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. **वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के पास :– चक 2 बीएचडी** के मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 7 ता 10 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 12 व 13 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 33 के किला नं0 6 की 0.253 है0
   चक 2 एमएसआर के मु0नं0 17 के किला नं0 13 व 18 प्रत्येक की 0.190 – 0.190 है0 पश्चिमी तरफ की तथा किला नं0 9 व 20 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी, मु0नं0 16 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 25 की 0.253 है0 बारानी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 27 के किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 15 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 28 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी
2. **प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के पास : चक 2 बीएचडी** के मु0नं0 32 के किला नं0 11 व 14 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 17 ता 20 प्रत्येक की 0. 253 है0 नहरी, किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक की 0.240 है0 नहरी एवं प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता मु0नं0 33 के किला नं0 15 व 16 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 25 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 एवं
   चक 2 एमएसआर के मु0नं0 27 के किला नं0 13 की 0.253 है0 किला नं0 16 की 0.240 है0 नहरी, रास्ता 0.013 है0 किला नं0 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 22 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 25 की 0.240 है0 नहरी व 0.013 है0 रास्ता, मु0नं0 30 के किला नं0 2 ता 6 प्रत्येक की 0. 228 है0 नहरी, 0.025 है0 खाला, किला नं0 7 की 0.253 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 17 के किला नं0 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी व किला नं0 13 व 18 प्रत्येक की 0.063–0.063 है0 कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

वाद भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान पृथक–पृथक कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जा चुका है, अत : चक 2 बीचएडी के खाता सं0 117/114 के मु0नं0 32 के किला नं0 4, 7, 8, 13, में से धरातल से करीब चार फीट नीचे पाईप लाईन दबाई हुई है, को मु0नं0 32 के किला नं0 12 में खुलने के लिए, सिचांई हेतु पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ताकि प्रतिवादी सं0 1 चक 2 बीएचडी के मु0नं0 32 के किला नं0 11, 20, 21, मु0नं0 33 के किला नं0 15, 16, 25 में अपने खेत में पाईप लाईन से सिंचाई कर सके। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आदेश
03.11.21

दिनांक 14.7.17 को जारी आदेश में चक 2 MSR के मु० न० 17 के किला न० 9 के स्थान पर 19 तथा मु० न० 17 के ही किले न० 23 व 25 अंकन किया जाता है व मु० न० 17 के किला 25, मु० न० 27 के किला 5, 6 प्रत्येक किला मे 1-1 बिस्वा (0.013 हे) प्रत्येक किला के पूर्व की तरफ, दक्षिण से उत्तर की ओर तीनों किला में कुल 0.039 हे० रास्ता मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंकन किया जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)